न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— श्री **कार्तिकेय मीणा, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः 121/2019 दायर दिनाँक **17.05.2019**

वादी

1. गोरधनराम पुत्र रेवन्तराम उम्र 70 वर्ष जाति ब्राहम्ण निवासी मामड़ोदा, तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।

बनाम्

प्रतिवादीगण

1. रामाकिशन पुत्र रूपाराम
2. भंवरलाल पुत्र उमाराम
3. रघुनाथ पुत्र उमाराम
4. रूकमा देवी पत्नि अमरचन्द पुत्री उमाराम
5. नारायणराम पुत्र रेवन्ताराम
6. अमरचन्द पुत्र रेवन्ताराम
7. सुरजाराम पुत्र रूपाराम माता बाली
8. नेमीचन्द पुत्र रूपाराम माता बाली
9. आशाराम पुत्र रूपाराम माता बाली
10. भींवाराम पुत्र रूपाराम माता बाली
11. शान्ति देवी बैवा मोतीराम
12. नानूराम पुत्र मोतीराम
13. हुक्माराम पुत्र मोतीराम समस्त जाति ब्राहम्ण निवासी माामड़ोदा तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0
14. सरपंच ग्राम पंचायत मामड़ोदा तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0
15. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा— 88, 188 R.T.Act.

उपस्थितः—

1. श्री अजीत सिंह राठौड़ वकील वादी।
2. श्री नागपाल सिंह वकील प्रतिवादी सं0 01, 02, 04 ता 07, 10।
3. श्री शरीफ शैरानी वकील प्रति0 सं0 8।

—:: निर्णय ::—

दिनाँक **19.09.2022**

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 13 एक ही परिवार के व्यक्ति है। वाकै शरहद मामड़ोदा गत खसरा सं0 79 रकबा 20 बीघा 10 बिस्वा, खसरा सं0 79/263 रकबा 18 बीघा 19 बिस्वा व खसरा सं0 79/264 रकबा 03 बीघा जिसके वर्तमान खसरा सं0 107 रकबा 3.32 हैक्टे0, खसरा सं0 111 रकबा 03.07 हैक्टे0 व खसरा सं0 112 रकबा 0.48 हैक्टे0 है, जिस खेताय की गत व वर्तमान खतौनी की प्रमाणित प्रति वाद के साथ प्रस्तुत है।

यह है कि गत खसरा सं0 79 रकबा 20 बीघा 10 बिस्वा, खसरा सं0 79/263 रकबा 18 बीघा 19 बिस्वा व खसरा सं0 79/264 रकबा 3 बीघा कुल रकबा 42 बीघा 09 बिस्वा भूमि में से 1/2 हिस्सा वादी गोरधनराम ने तत्कालीन खातेदार बालाराम पुत्र छोटूराम जाति ब्राहम्ण निवासी मामड़ोदा से जरिये पंजीकृत विक्रय—पत्र दिनांक 19.04.1990 की छाया प्रति वाद के साथ प्रस्तुत है।

यह है कि वाकै शरहद मामड़ोदा गत खस[illegible]63 रकबा 18 बीघा 19 बिस्वा जिसके वर्तमान [illegible] की भूमि वादी की कब्जे काश्त विक्रय[illegible] है। उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.15 16:37:57 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

विक्रय–पत्र की शेष भूमि गत खसरा सं0 79/264 रकबा 03 बीघा जिसके वर्तमान खसरा सं0 112 रकबा 0.48 हैक्टे0 न्यायालय निर्णय दिनांक 16.06.2017 के अनुसार प्रतिवादी अमरचन्द को प्राप्त हुई, जिसकी खातेदारी दर्ज हो चुकी है। उक्त वादग्रस्त खसरा सं0 111 रकबा 3.07 हैक्टे0 भूमि पर कब्जा काश्त वादी है, मगर सहवन से न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 16.06.2017 में सहवन से वर्णन नही किया जा सका इसलिए वाद बाबत बंटवारा लाजमी आया है।

प्रार्थना वादी यह है कि :–

कि वाकै शरहद मामड़ोदा के गत खसरा सं0 79/263 जिसके वर्तमान खसरा सं0 111 रकबा 3.07 हैक्टे0 में से 3.05 हैक्टे0 भूमि का खातेदार वादी को घोषित किया जावें तथा इसी अनुसार बंटवारा किया जावें एवं अन्य खातेदारान प्रतिवादीगण सं0 1 ता 13 का नाम राजस्व रेकर्ड से पृथक किया जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी सं0 01, 02, 03, 04 ता 07, 10 की तरफ से राजीनामा पेश हुआ। साक्ष्य वादी में वादी गोरधनराम का अर्न्तगत आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी. का प्रार्थना–पत्र पेश हुआ। साक्ष्य प्रतिवादी में नेमीचन्द उर्फ नेमाराम, पन्नालाल, जगदीश के शपथ–पत्र पेश हुये। वादी ने अपने वाद के समर्थन में विक्रय पत्र दिनांक 19.041.1990 प्रदर्श–1 जिसकी छायाप्रति प्रदर्श–1/1, खतौनी प्रदर्श क्रमशः 2, 3, 4, 5, राजीनामा प्रदर्श–6, निर्णय प्रदर्श–7, डिक्री प्रर्चा प्रदर्श–8, राजीनामा प्रदर्श–9 व राजीनामा प्रदर्श–10 प्रदर्शित करवायें।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। रेकर्ड का अवलोकन किया। रेकर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि गत खसरा नम्बर 79/263 जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 111 रकबा 3.07 हैक्टे0 में से 3.05 हैक्टे0 वादी की खरीद सुदा जायगा है।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया। अतः, बाद विवेचन, वाद वादीनी डिक्री सादिर किया जाता है।

—:आदेश :—

अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, शरहद मामड़ोदा के गत खसरा सं0 79/263 जिसके वर्तमान खसरा सं0 111 रकबा 3.07 हैक्टे0 में से 3.05 हैक्टे0 भूमि का खातेदार वादी को घोषित किया जाता है व अन्य खातेदारान प्रतिवादीगण सं0 1 ता 13 का नाम राजस्व रेकर्ड से पृथक किया जाता है।

तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक 19.09.2022 को [illegible] में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.15 16:37:57 IST
Reason: SelfAttested

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः 121/2019 दायर दिनाँक **17.05.2019**

वादी

1. गोरधनराम पुत्र रेवन्तराम उम्र 70 वर्ष जाति ब्राहम्ण निवासी मामड़ोदा, तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।

बनाम्

प्रतिवादीगण

1. रामाकिशन पुत्र रूपाराम
2. भंवरलाल पुत्र उमाराम
3. रघुनाथ पुत्र उमाराम
4. रूकमा देवी पत्नि अमरचन्द पुत्री उमाराम
5. नारायणराम पुत्र रेवन्ताराम
6. अमरचन्द पुत्र रेवन्ताराम
7. सुरजाराम पुत्र रूपाराम माता बाली
8. नेमीचन्द पुत्र रूपाराम माता बाली
9. आशाराम पुत्र रूपाराम माता बाली
10. भींवाराम पुत्र रूपाराम माता बाली
11. शान्ति देवी बैवा मोतीराम
12. नानूराम पुत्र मोतीराम
13. हुक्माराम पुत्र मोतीराम समस्त जाति ब्राहम्ण निवासी माामड़ोदा तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0
14. सरपंच ग्राम पंचायत मामड़ोदा तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0
15. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा– 88, 188 R.T.Act.

दिनाँक **19.09.2022**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री अजीत सिंह राठौड़ वकील वादी व श्री नागपाल सिंह वकील प्रतिवादीगण की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्व दावा डिक्री सादिर कर, शरहद मामड़ोदा के गत खसरा सं0 79/263 जिसके वर्तमान खसरा सं0 111 रकबा 3.07 हैक्टे0 में से 3.05 हैक्टे0 भूमि का खातेदार वादी को घोषित किया जाता है व अन्य खातेदारान प्रतिवादीगण सं0 1 ता 13 का नाम राजस्व रेकर्ड से पृथक किया जाता है।

तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग..........–.......... बाबत..........–..................
खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह..........–.......... [illegible] तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख [illegible]9.09[illegible]2 को [illegible] इजलास में जारी की गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.15 16:37:57 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील	–		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–		फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोटः—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.15 16:37:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner